न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 56/2021

1 गोपालचन्द पुत्र मोहनलाल।
1/1 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी गोपालचन्द।
1/2 रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघु कौशाल दत्तक पुत्र गोपालचन्द समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी आठो हवेली एस.एन.महाविधालय के पास नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 देवी कंशर पुत्र दामोदर।
3 शंकरलाल पुत्र दामोदर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मोर हॉस्पिटल के पास वार्ड संख्या 8 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीचन्द पुत्र हीरालाल।
2 महेन्द्र पुत्र हीरालाल समस्त जाति जाट निवासीगण केशरनगर कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर।
3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.08.2021 आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं0 01/2021 बउनवानी नेमीचन्द बनाम गोपालचन्द उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 61/2021

1 नेमीचन्द पुत्र हीरालाल।
2 महेन्द्र पुत्र हीरालाल समस्त जाति जाट निवासीगण केशरनगर कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोपालचन्द पुत्र मोहनलाल।
1/1 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी गोपालचन्द।
1/2 रघुनाथ प्रसाद उर्फ रघु कौशाल दत्तक पुत्र गोपालचन्द समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी आठो हवेली एस.एन.महाविधालय के पास नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 देवी कंशर पुत्र दामोदर।
3 शंकरलाल पुत्र दामोदर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मोर हॉस्पिटल के पास वार्ड संख्या 8 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 तहसीलदार सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणर्थ अन्तर्गत अपील नम्बर 56/2021 बउनवानी गोपाल बनाम नेमीचन्द धारा 225(1) आरटीएक्ट आगामी तारीख 21.10.2021।

उपस्थिति :

1. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.9.22

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2021,561/2021 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 एवं 21.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट के खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 690 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/2130 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम केशर नगर कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। इस भूमि के दक्षिण दिशा में सींवा जोड़ कृषि भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 5.65 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं मृतक माता कमली है जिसमें से आवेदकगण एवं उनके पूर्वज कृषि यन्त्र लाने ले जाने एवं आवागमन हेतु 15 फिट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आवेदकगण की भूमि तक पहुंच के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अनावेदकगण ने रास्ता देने से मना कर दिया, अत खसरा नम्बर 678 की पूर्व दिशा के सहारे दक्षिण

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में अवस्थित सड़क मार्ग से लेकर आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 690 की दक्षिणी सीमा तक 15 फिट का चौड़ा रास्ता दिलाया जावें। आवेदन पेश होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थीगण में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा और आवेदकगण कभी इस खेत में जाने नहीं गये, उनका वैकल्पिक रास्ता है जो खसरा नम्बर 707 से होकर जाता है, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया, जवाब के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनकर आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से अपील संख्या 56/2021 प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील रास्ते की भूमि खुर्द बुर्द नही हो इसलिये रेस्पोडेंट की और से धारा 212 का आवेदन संख्या 61/2021 प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते का पेड़ खडे होने का अंकन आया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा पेड़ो के मुआवजे के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले भूमि का आदेश पारित किया गया है जो अनुचित व विधि विरूद्व है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट के पास खसरा नम्बर 705,706,707 में से वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता पूर्व से है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपीलांट की भूमि का नामान्तकरण रोकने के लिये रेस्पोडेंट द्वारा स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट की यह कार्यवाही विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट खसरा नम्बर 678 के खातेदार है। इससे लगती हुई खसरा नम्बर 690,690/2130 आवेदनकर्ता की खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय में आवेदन के साथ नक्शा ट्रेश प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि निकटतम रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 678 में से ही है। वैकल्पिक रास्ता होने की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय द्वारा सदभाविक रूप से भूमि के बदले भूमि देने के आदेश दिये गये है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन स्थगन प्रस्तावित रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिये दिया गया था। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2022(1) पेज 558, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1098 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट खसरा नम्बर 678 के खातेदार है। इससे लगती हुई खसरा नम्बर 690,690/2130 आवेदनकर्ता की खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय में आवेदन के साथ नक्शा ट्रेश प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 678 में से ही है। वैकल्पिक रास्ता होने की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय द्वारा सदभाविक रूप से भूमि के बदले भूमि देने के आदेश दिये गये है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन स्थगन प्रस्तावित रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिये दिया गया था। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर